राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एनवीबीडीसीपी/2019/332 दिनांकः 22/5/19

समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी
एवं समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

विषयः— जिलों के सभी चिकित्सा संस्थानों पर एलईडी/एलसीडी (टेलीविजन) के माध्यम से आईईसी गतिविधियाँ सम्पादित करने क्रम में।

संदर्भः— अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 26.04.19 को आयोजित ईसी (Executing Committee) बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय चिकित्सा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 26.04.19 को आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में समस्त चिकित्सा संस्थानों पर (वेटिंग एरिया, ओपीडी व अन्य आवश्यक स्थान) एलईडी/एलसीडी (टेलीविजन) के माध्यम से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाईन फ्लू, लू—तापघात, स्क्रबटायफस व अन्य रोगों की रोकथाम व बचाव हेतु **Rolling text message/Motion picture** व अन्य आईईसी गतिविधियों के माध्यम से जागरूक करें।

जिन चिकित्सा संस्थानों पर एलईडी/एलसीडी (टेलीविजन) की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं, उन चिकित्सा संस्थानों में आरएमआरएस के माध्यम से बैठक में सक्षम स्वीकृति के पश्चात नियमानुसार क्रय कर सुविधा उपलब्ध करवाई जावें।

निदेशालय के पत्र क्रमांक एनवीबीडीसीपी/2019/304 दिनांक 10.05.19 के द्वारा आईईसी सामग्री/मेटेरियल आपको पूर्व में ही भिजवाया जा चुका है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाईन फ्लू, लू—तापघात, स्क्रबटायफस व अन्य रोगों की रोकथाम व बचाव हेतु अविलम्ब आईईसी गतिविधियां करवाया जाना सुनिश्चित करें।

—sd—
निदेशक (जनस्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एनवीबीडीसीपी/2019/332 दिनांकः 22/5/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यकाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)।
3. निजी सचिव, निदेशक (आईईसी), मुख्यालय।
4. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशों की पालना शीघ्र करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी सर्वर को संबंधित को ई—मेल व वेबसाईट पर अपलोड करने वास्ते।
7. कार्यालय प्रति।

निदेशक (जनस्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर